



राजस्थान राज्य भण्डारव्यवस्था निगम

(सरकार का प्रतिष्ठान)

प्रधान कार्यालय, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर

क्रमांक : प्र.का./प्रशा./एफ.12(69)2015/ 10311

दिनांक : 30.07.2019

विज्ञप्ति

राजस्थान राज्य भण्डारव्यवस्था निगम में भण्डार प्रबन्धक के पदों पर प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति के लिए योग्यताधारी अभ्यर्थियों से आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। कुल रिक्त पदों की संख्या एवं उनमें आरक्षित पदों की संख्या निम्नानुसार है:-

प्रवर्गवार कुल रिक्तियां		पुरुष+महिला की मिश्रित	महिलाएं (न्यूनतम)			
			अन्य	विधवाएं	परित्यक्ता	कुल
अनारक्षित						
क. सामान्य वर्ग	24	17	04	02	01	07
ख. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	04	04	—	—	—	—
पिछड़ा वर्ग	02	01	01	—	—	01
अति पिछड़ा वर्ग	02	02	—	—	—	—
अनुसूचित जाति	05	03	01	01	—	02
अनुसूचित जनजाति	05	04	01	—	—	01
कुल	42	31	07	03	01	11

रिक्तियों के सकल योग 42 में दिव्यांगजन (निःशक्तजन) की 02, भूतपूर्व सैनिक की 02 रिक्तियां सम्मिलित है।

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :-

विधि सम्मत किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से B.Sc. (Agri.) (With minimum 55% aggregate marks relaxable by 5% for SC/ST) with MBA/PG Diploma in Management. Where percentage of marks is not awarded by the university/college and CGPA grades are given, CGPA equivalent as per the university/college certificate will be accepted. Where such Equivalent Certificate is not issued by the university/college, 5.5 CGPA will be considered as 50%, 6.0 CGPA will be considered as 55% and so on.

स्पष्टीकरण :- यह स्पष्ट किया जाता है कि वे ही अभ्यर्थी इस पद के लिए आवेदन कर सकेंगे, जो लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने से पूर्व शैक्षणिक योग्यता अर्जित किये जाने की अर्हता रखते हों। दस्तावेज सत्यापन के समय पर अंतिम वर्ष की मार्कशीट अथवा डिग्री प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, अन्यथा प्रत्याशी इस पद के लिए चयन के योग्य नहीं माना जायेगा।

नोट:-

- उपरोक्त सारणी में राजस्थान की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये दर्शाए गए सभी आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को किन्हीं भी परिस्थितियों में सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से नहीं भरा जाएगा और इन आरक्षित रिक्तियों को 3 भर्ती वर्षों तक अग्रणीत किया जाएगा।
- कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.07.2017 के अनुसार अनारक्षित पदों के विरुद्ध चयन हेतु आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग) के केवल वे ही आवेदक पात्र होंगे जिन्होंने शुल्क के अतिरिक्त आरक्षित श्रेणी के लिये देय किसी अन्य रियायत का लाभ नहीं उठाया है।

3. राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अ.जा/अ.ज.जा/पि.व./अ.प.व. के अभ्यर्थियों को अनारक्षित वर्ग का अभ्यर्थी माना जायेगा।
4. विभाग द्वारा भरे जाने वाले उक्त रिक्त पदों में विशेष योग्यजन (निःशक्तजन), भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित पद का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से होगा, अर्थात् जिस प्रवर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध होंगे उसे सम्बन्धित प्रवर्ग में, जिसके वे अभ्यर्थी हैं, उस ही प्रवर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जायेगा। इसी अनुसार उपरोक्त सारणी में पद दर्शाये गये हैं।
5. किसी वर्ग (अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग) की पात्र एवं उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में उस पद को उसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जाएगा।
6. पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी नॉन-क्रीमी लेयर का नवीनतम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तो ही आरक्षण का लाभ देय होगा अन्यथा नहीं। पति के नाम एवं आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
7. राजस्थान के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा।
8. विशेष योग्यजन (निःशक्तजन) के लिए
 - राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अन्तर्गत आरक्षण का लाभ देय है।
 - विशेष योग्यजन के लिए दर्शाए गए आरक्षित पदों का आरक्षण भी क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग) का होगा उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा।
 - उपरोक्त दर्शाए गए विशेष योग्यजन के आरक्षित पदों के लिए पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में इन पदों को राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार भरा जावेगा। विशेष योग्यजन के उक्त नियम 38(4) के अनुरूप उपरोक्त विशेष योग्यजनों की अनुपलब्धता के कारण या अन्य किसी भी पर्याप्त कारण से पद भरा नहीं जा सकता हो तो वहां ऐसी रिक्ति को अग्रणीत किया जाएगा।
9. विज्ञापन जारी होने के उपरान्त विभाग द्वारा विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकेगी।

आयु:-

आवेदक 1 जनवरी, 2020 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, परन्तु यह कि ऊपर उल्लेखित उच्चतम आयु सीमा में -

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को जो राजस्थान के मूल निवासी हैं, के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।
2. अनारक्षित वर्ग की महिला (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग सहित) अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।
3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को, जो राजस्थान के मूल निवासी हैं, के मामले में 10 वर्ष की छूट दी जायेगी।

4. पंचायत समितियों, जिला परिषदों, राजस्थान राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों के कारोबार में अधिष्ठायी (Substantive) रूप से कार्यरत व्यक्तियों के लिये अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
5. राजस्थान राज्य भण्डारव्यवस्था निगम के अनारक्षित पुरुष कर्मचारी अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जावेगी।
6. राजस्थान राज्य के क्रियाकलापों के संबंध में अधिष्ठायी (Substantive) तौर पर नियुक्त कार्मिकों के लिये अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
7. भूतपूर्व सैनिक कार्मिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी। भूतपूर्व सैनिक कार्मिकों हेतु राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के नियमानुसार उच्चतम आयु सीमा 50 वर्ष में सैन्य क्रास/वीर चक्र या कोई अन्य उच्च विशेष योग्यताधारकों की दशा में उच्च आयु सीमा दो वर्ष तक शिथिलन योग्य होगी।
8. विधवाओं और विछिन्न-विवाह महिलाओं के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी। स्पष्टीकरण : विधवा महिला के मामले में उसे सक्षम प्राधिकारी से अपने पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा विछिन्न विवाह महिला के मामले में उसे विछिन्न विवाह की डिग्री/न्यायिक सबूत प्रस्तुत करना होगा।
9. राजस्थान दिव्यांगजन व्यक्तियों की अधिकतम आयु सीमा राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार छूट देय होगी।

राष्ट्रीयता :-

1. (क) भारत का नागरिक हो, या
(ख) नेपाल का प्रजाजन हो, या
(ग) भूटान का प्रजाजन हो, या
(घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो दिनांक 1-1-62 से पहले भारत में स्थाई रूप से बसने के विचार से आया था, या
(ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति जिसने जो भारत में स्थाई रूप से बसने के विचार से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, युगान्डा और संयुक्त तंजानिया गणराज्य (भूतपूर्व टंगानिया तथा जंजीबार), जाम्बिया, मालवी, जैर और इथोपिया से भारत में स्थानान्तरण कर लिया हो।

परन्तु शर्त यह है कि वर्ग (ख), (ग), (घ) और (ङ) प्रवर्गों को कोई अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके हक में भारत सरकार ने पात्रता प्रमाण-पत्र दे दिया हो।

ऐसे अभ्यर्थियों के जिनके मामलों में पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक है, आयोग या अन्य किसी भर्ती प्राधिकारी द्वारा संचालित किसी परीक्षा में बैठने दिया जा सकेगा या साक्षात्कार के लिये बुलाया जा सकेगा तथा उसे भारत सरकार द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र दिये जाने के अध्यक्षीन अन्तिम तौर पर नियुक्त भी किया जा सकेगा।

2. अन्य देशों से भारत में स्थाई रूप से बसने के आशय से आये व्यक्तियों की पात्रता की शर्त :- इन नियमों में किसी बात के होते हुये भी सेवा में भर्ती की पात्रता हेतु राष्ट्रीयता, आयु सीमा, फीस तथा अन्य रियायतों संबंधी उपबन्ध, ऐसे व्यक्तियों के बारे में जो भारत में स्थाई रूप से बसने के आशय से अन्य देशों से भारत में आये हों, ऐसे आदेशों या अनुदेशों द्वारा विनियमित होंगे जो सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये जाये और ऐसे आदेशों या अनुदेशों को भारत सरकार द्वारा इस विषय में जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार यथावश्यक परिवर्तनों सहित विनियमित किया जायेगा।

विवाह पंजीयन :- राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प.6(19)गृह-13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र यथा समय वांछनीय होगा।

अन्य योग्यताएँ :-

1. **स्वास्थ्य :-** भण्डार प्रबन्धक के पद पर भर्ती के लिए उम्मीदवार अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना चाहिए और वह ऐसे किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जो कि भण्डार प्रबन्धक के रूप में उसके कर्तव्यों के कुशल पालन में बाधा डाल सके और यदि वह चयनित कर लिया जाता है तो उसे इसके लिये अपना आरोग्यता प्रमाण पत्र उस जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी या मेडिकल ज्यूरिस्ट द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तुत करना होगा जिस जिले में सामान्यतः वह निवास करता है।
2. **चरित्र :-** सेवा में सीधी भर्ती के लिए आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे कि वह भण्डार प्रबन्धक के पद पर नियुक्ति के लिये योग्य हो सके। उसे सद्चरित्र का प्रमाण पत्र ऐसे विश्वविद्यालय, विद्यालय या कॉलेज जहां उसने अंतिम शिक्षा प्राप्त की हो, प्रधानाचार्य/शिक्षा अधिकारी के द्वारा प्रदत्त, प्रस्तुत करना होगा और दो ऐसे उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने होंगे जो आवेदन-पत्र की दिनांक से 6 महीने पहले के न हो और अभ्यर्थी के रिश्तेदार द्वारा दिये हुये नहीं हो।

नियुक्ति के लिये अयोग्यता :-

1. कोई अभ्यर्थी जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं या जो जीवित पति या पत्नी के होते हुए किसी दशा में विवाह करता है जिससे ऐसा विवाह ऐसे पति या पत्नी के जीवनकाल के दौरान किये जाने के कारण शून्य है, तो वह निगम की सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि प्रबंध निदेशक/अध्यक्ष द्वारा विशेष रूप से छूट न दी गई हो।
2. कोई महिला जिसका विवाह ऐसे विवाह के समय पर पति के जीवित पत्नी होने के कारण शून्य है, तो वह निगम की सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगी जब तक कि प्रबंध निदेशक/अध्यक्ष द्वारा विशेष रूप से छूट न दी गई हो।
3. किसी भी विवाहित पुरुष/महिला अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा यदि उसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया होगा। स्पष्टीकरण— इस नियम के प्रयोजन हेतु दहेज से वही तात्पर्य होगा जो दहेज प्रतिषेध एक्ट, 1961 (सेन्ट्रल एक्ट, 28 ऑफ 1961) में है।
4. राजस्थान लोक सेवा आयोग/राज्य सरकार के किसी भी विभाग द्वारा किसी भी परीक्षा में वंचित किये गये ऐसे आवेदक जिनके वंचित होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति के अन्तिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई हो। कोई अभ्यर्थी जो निगम या किसी राज्य के किसी विभाग या अन्य सरकारी संस्था की सेवा से पूर्व में डिसमिस हो चुका हो।
5. ऐसा कोई अभ्यर्थी जिसका नैतिक आचरण सही नहीं हो, किसी गतिविधियों में न्यायालय द्वारा सजायाप्ता हो नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।
6. ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसके 01.06.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान हो।

परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी अभ्यर्थी को जो बच्चों की संख्या के आधार पर 1 जून, 2002 को पात्र था, नियुक्ति के लिये तब तक निरिहित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होगी :-

परन्तु यह और कि जहां किसी भी अभ्यर्थी के पूर्वतर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चातवर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं वहां बच्चों

की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुये बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा। किन्तु किसी पात्र अभ्यर्थी के विधिक रूप से पुनःविवाह से एक संतान उत्पन्न हो जाने तक वह नियुक्ति के अपात्र नहीं होगा।

अनुचित साधनों की रोकथाम :-

परीक्षार्थी को विभाग/केन्द्राधीक्षक/अभिजागर (Invigilator) अथवा विभाग द्वारा नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करना होगा। ऐसा नहीं करने अथवा परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने पर एवं परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग/उपयोग करने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध विभाग/केन्द्राधीक्षक, जो उचित समझे, कार्यवाही कर सकता है तथा ऐसे परीक्षार्थी के विरुद्ध राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

वेतनमान :-

राज्य सरकार के नियमानुसार भण्डार प्रबन्धक के पद पर चयनित व्यक्तियों को 2 वर्ष की परिवीक्षा काल में रखा जावेगा जिसके दौरान मासिक पारिश्रमिक देय होगा। उन्हें कोई अतिरिक्त भत्ता देय नहीं होगा। परिवीक्षा अवधि संतोषपूर्वक पूर्ण करने पर सातवें वेतनमान के अनुसार Pay Matrix Level-12 में वेतन निर्धारित किया जायेगा।

परीक्षा योजना :-

- संस्था द्वारा लिखित परीक्षा एक ही चरण में आयोजित की जावेगी जिसकी अवधि 2 घंटे की होगी।
- प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ (Objective -type) होगा।
- लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम वेबसाइट www.rcaudaipur.net पर उपलब्ध रहेगा तथा इसका लिंक <http://agriculture.rajasthan.gov.in/rswc> अथवा <http://www.mpuat.ac.in> से प्राप्त किया जा सकता है।

नोट :-

प्रश्नों के उत्तर परीक्षार्थियों को उपलब्ध कराई गई OMR Sheets में अंकित किये जाने होंगे।

परीक्षा का माह एवं स्थान :-

1. लिखित परीक्षा सितम्बर माह के अन्तिम सप्ताह/अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह को आयोजित की जायेगी लेकिन अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण परीक्षा आयोजन के कार्यक्रम में परिवर्तन किया जा सकता है जिसकी सूचना आवेदकों को यथासमय उपलब्ध करवा दी जायेगी।
2. लिखित परीक्षा उदयपुर में आयोजित की जाएगी।

परीक्षा शुल्क :-

1. सामान्य आवेदक हेतु (जिसमें पि.व/अति पि.व के आवेदक व अधोवर्णित श्रेणियों के अतिरिक्त अन्य सभी श्रेणियों के आवेदक सम्मिलित हैं)- रुपये 1600/-
2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांगजन (निःशक्तजन) के आवेदक जो राजस्थान राज्य के स्थायी निवासी हैं- रुपये 800/-

नोट :-

1. आवेदन ऑन लाइन किया जायेगा।
2. राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जायेगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क देना होगा।

3. परीक्षा शुल्क एक बार जमा होने पर वापिस नहीं लौटाया जायेगा।
4. परीक्षा शुल्क जिस श्रेणी का जमा कराया जायेगा, अभ्यर्थी को उसी श्रेणी का माना जायेगा, बाद में अभ्यर्थी की श्रेणी में परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

प्रवेश पत्र :- वेबसाइट <http://www.rcaudaipur.net> से डाउनलोड किया जा सकेगा।

आवेदन करने की अंतिम तिथि :- 31 अगस्त, 2019 रात्रि 12.00 बजे तक।

आवेदन कैसे करें :- पूर्ण विधि वेबसाइट <http://www.rcaudaipur.net> पर उपलब्ध है।

विशेष :-

- विभाग द्वारा परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं अन्य सामग्री विक्रय किए जाने हेतु किसी भी प्रकाशक को अधिकृत नहीं किया गया है। यदि कोई अभ्यर्थी किसी प्रकाशक द्वारा मुद्रित पाठ्यक्रम अथवा अन्य सामग्री खरीदेगा तो यह उसकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी।

आवेदक को आवेदन, परीक्षा प्रवेश संबंधी एवं अन्य सूचनाएँ वेबसाइट <http://www.rcaudaipur.net> या SMS या Email के माध्यम से सूचित की जायेगी।

- यदि कोई आवेदक आवेदन में उल्लेखित सूचना के आधार पर भण्डार प्रबन्धक के पद के लिए उल्लेखित अर्हताओं की पूर्ति नहीं करता है तो इस परीक्षा के लिए अयोग्य पाये जाने पर आवेदन निरस्तनीय होगा तथा ऐसे आवेदकों को उनके द्वारा जमा कराया गया परीक्षा शुल्क, जिसमें आवेदन शुल्क सम्मिलित है, प्रतिदाय (Refund) नहीं किया जायेगा।
- किसी तरह की कठिनाई/पूछताछ हेतु आवेदक हेल्पलाइन मोबाईल नम्बर 8302714491 पर सम्पर्क करें।
- समस्त जानकारियां तथा सूचनाएँ वेबसाइट <http://www.rcaudaipur.net> पर उपलब्ध रहेंगी।

प्रबन्ध निदेशक

राजस्थान राज्य भण्डारव्यवस्था निगम
जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, /संयुक्त शासन सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. कुलपति, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर।
3. निदेशक, प्रादेशिक रोजगार कार्यालय, जयपुर।
4. उप क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी (आई/सी), रोजगार कार्यालय भवन, कमरा नं. 7, जलेबी चौक, जयपुर-302002 (राज.)।
5. निदेशक, महिला रोजगार कार्यालय, बी-100, यूनिवर्सिटी मार्ग, बापू नगर, जयपुर-302015
6. प्रोग्रामर, प्रधान कार्यालय, जयपुर को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

प्रबन्ध निदेशक

यह शपथ पत्र प्रार्थी द्वारा आनलाइन प्रार्थना पत्र के साथ अपलोड करना आवश्यक है।

शपथ पत्र

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
..... जाति आयु पता
..... द्वारा शपथ पूर्वक
घोषणा करता/करती हूँ कि :

- मैं यह आवेदन भण्डार प्रबन्धक पद हेतु जिसका विज्ञापन राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम द्वारा विज्ञापन संख्या दिनांक द्वारा जारी किया गया है, कर रहा/रही हूँ।
- मैं इस पद के आवेदन से संबंधित सभी नियमों/अधिसूचना आदि को ध्यानपूर्वक पढ़ चुका/चुकी हूँ व मैं इनसे स्वयं को बाध्य मानता/मानती हूँ।
- मैं इसके अतिरिक्त यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं इस पद के सम्बन्ध में सभी शर्तें यथा आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव व जाति पात्रता में छूट आदि को पूरा करता/करती हूँ।
- मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन पत्र में मेरे द्वारा भरी गयी जानकारी मेरे ज्ञान व विश्वास के अनुसार पूर्णतया सत्य है। मेरी उक्त सूचनाएँ यदि भविष्य में मेरे चयन के पूर्व/दौरान अथवा बाद में झूठी साबित होती हैं अथवा उक्त सम्बन्ध में मैं उचित प्रमाण पत्र प्रस्तुत ना कर पाऊं तो उक्त पद के लिए अयोग्य होने हेतु उत्तरदायी होऊँगा/होऊँगी।

(आवेदक के हस्ताक्षर)

सत्यापन

मैं उपर वर्णित शपथग्रहिता यह घोषणा करता/करती हूँ कि उक्त शपथ पत्र में वर्णित सभी बातें मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही हैं तथा मैंने कोई महत्वपूर्ण व आवश्यक तथ्य नहीं छुपाये है।

इस दिनांक माह वर्ष को सत्यापित

(हस्ताक्षर शपथग्रहिता)